LogOut

User ID - **0438012**

Budget Allocation Report(With Works Data)

Select Report Type:	Budget Allotment Report
Financial Year:	2023_24 From Date: 01/04/2023 To Date: 31/03/2024
BCO Code/DDO Code	0438012 शासकीय महाविद्यालय तमनर, जिला रायगढ़
Budget Type	ALL
Demand Number(Optional)	

Show Report | Export To Excel

ALL Budget Allocation Report(in Rupees) Financial Year:2023_24

S.NO.	BCOCODE/DDOCODE	Head Details	Total Budget Allocated	Total Budget Distributed	Self Expenditure	Balance	Total Expenditure of DDO's	Total Expenditure(Self Exp + Exp of DDO's)
1	0438012	08-2053-00-093-0000-1510-01-001-V	0	0	0	0	0	0
2	0438012	08-2053-00-093-0000-1510-01-003-V	0	0	0	0	0	0
3	0438012	08-2053-00-093-0000-1510-01-005-V	0	0	0	0	0	0
4	0438012	41-2202-03-103-0102-0798-01-001-V	1,06,41,680	0	1,06,41,679	1	0	1,06,41,679
5	0438012	41-2202-03-103-0102-0798-01-003-V	29,26,000	0	34,65,066	-5,39,066	0	34,65,066
6	0438012	41-2202-03-103-0102-0798-01-005-V	30,000	0	39,880	-9,880	0	39,880
7	0438012	41-2202-03-103-0102-0798-01-006-V	1,70,000	0	3,52,968	-1,82,968	0	3,52,968
8	0438012	41-2202-03-103-0102-0798-01-014-V	25,000	0	15,100	9,900	0	15,100
9	0438012	41-2202-03-103-0102-0798-01-015-V	0	0	0	0	0	0
10	0438012	41-2202-03-103-0102-0798-01-020-V	8,000	0	0	8,000	0	0
11	0438012	41-2202-03-103-0102-0798-01-021-V	0	0	0	0	0	0
12	0438012	41-2202-03-103-0102-0798-02-004-V	0	0	0	0	0	0
13	0438012	41-2202-03-103-0102-0798-03-001-V	8,000	0	7,830	170	0	7,830
14	0438012	41-2202-03-103-0102-0798-04-001-V	3,000	0	3,000	0	0	3,000
15	0438012	41-2202-03-103-0102-0798-04-002-V	5,000	0	5,000	0	0	5,000
16	0438012	41-2202-03-103-0102-0798-04-003-V	0	0	0	0	0	0
17	0438012	41-2202-03-103-0102-0798-04-004-V	2,00,000	0	1,99,999	1	0	1,99,999
18	0438012	41-2202-03-103-0102-0798-04-005-V	25,000	0	25,000	0	0	25,000
19	0438012	41-2202-03-103-0102-0798-04-006-V	0	0	0	0	0	0
20	0438012	41-2202-03-103-0102-0798-04-007-V	5,000	0	5,000	0	0	5,000
21	0438012	41-2202-03-103-0102-0798-04-009-V	4,00,000	0	3,99,983	17	0	3,99,983
22	0438012	41-2202-03-103-0102-0798-10-009-V	0	0	0	0	0	0
23	0438012	41-2202-03-103-0102-0798-24-002-V	3,00,000	0	2,98,519	1,481	0	2,98,519
24	0438012	41-2202-03-103-0102-0798-25-001-V	3,50,000	0	3,49,489	511	0	3,49,489
25	0438012	41-2202-03-103-0102-0798-25-004-V	2,00,000	0	1,99,998	2	0	1,99,998
26	0438012	41-2202-03-103-0102-0798-33-003-V	0	0	0	0	0	0
27	0438012	41-2202-03-103-0102-7751-25-001-V	2,00,000	0	1,99,998	2	0	1,99,998
28	0438012	41-2202-03-103-0102-9805-11-013-V	94,300	0	94,300	0	0	94,300
29	0438012	44-2202-03-103-0101-0798-01-001-V	0	0	0	0	0	0
30	0438012	44-2202-03-103-0101-0798-04-009-V	0	0	0	0	0	0
31	0438012	44-2202-03-103-0101-0798-10-009-V	1,00,000	0	1,00,000	0	0	1,00,000
32	0438012	44-2202-03-103-0101-5671-04-004-V	1,00,000	0	1,00,000	0	0	1,00,000
33	0438012	44-2202-03-103-0101-7751-03-001-V	5,000	0	4,700	300	0	4,700
34	0438012	44-2202-03-103-0101-7751-25-001-V	0	0	0	0	0	0
35	0438012	64-2202-03-103-0103-4699-11-004-V	24,950	0	24,950	0	0	24,950
		Total	**15820930**	**0**	**16532459**	**-711529**	**0**	**16532459**

Principal
Govt.College Tamnar
Distt.Raigarh (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय तमनार, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)
Mob. No. - 83949637536, E-Mail – govt.collegetamnat@gmail.com, Website – gnctamnat.in

Details of total funds/grants received from different heads of the institution during the session 2023-24.

Heads	Funds	Expenditure
Janbhagidari	245250	Nil
P.D.	743300	349725
Govt.	21030	21030

Principal
Govt-College Tamnar
Distt-Raigarh (C.G.)

अध्याय - 65

छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002

(यथा संशोधित-अगस्त, 2004)

भण्डार क्रय नियम, 2002 का उद्देश्य

(अ) राज्य शासन के विभागों को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री उचित दरों पर निश्चित समयावधि में प्राप्त हो सके।

(ब) राज्य शासन को न्यूनतम दरों पर सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

(स) स्थानीय लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिले।

(द) यदि किन्हीं सामग्रियों का उत्पादन राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों द्वारा किया जाता है तो मूल्य एवं गुणवत्ता समान होने की दशा में सामग्रियाँ क्रय करने में ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता मिले।

भण्डार क्रय नियम

नियम -1 (1) ये नियम छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम, 2002 यथा संशोधित - अगस्त, 2004 कहलायेंगे।

(2) इनका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) ये नियम राजपत्र में अधिसूचित होने के दिनांक से लागू होंगे।

नियम 2- भंडार क्रय नियमों के अंतर्गत शासकीय क्रय का आशय शासकीय विभागों द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तुओं से है।

2.1 समस्त शासकीय विभागों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रम, मंडल, जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय भी भण्डार क्रय नियमों की परिधि में रहेंगे।

नियम 3- ऐसी वस्तुएँ जो परिशिष्ट-1 में उल्लेखित हैं, की दरों एवं शर्तों का निर्धारण छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (सी.एस.आई.डी.सी.) द्वारा किया जावेगा तथा विभागों द्वारा क्रय इन दरों व शर्तों के अंतर्गत सीधे किया जा सकेगा। अन्य वस्तुएँ, जो परिशिष्ट-1 में उल्लेखित नहीं हैं, का क्रय संबंधित विभाग नियम-4 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसरण में करेंगे।

नियम 4- शासकीय क्रय सामान्यत:निविदा के माध्यम से किया जायेगा। निविदा के संबंध में प्रक्रिया निम्नानुसार होगी .

4.1 निविदा आमंत्रण के पूर्व क्रय की जाने वाली सामग्री का मापदंड तकनीकी ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

Principal
Govt-College Tamnar
Distt-Raigarh (C.G.)

4.2 निविदा की शर्तों का निर्धारण किया जाएगा।

4.3 निविदा बुलाने की प्रक्रियाएँ-

4.3.1 **एकल निविदा पद्धति-** ऐसी एकल वस्तु जो कि सांपत्तिक प्रकृति (Proprietory Character) की हो तथा प्रतिस्पर्धा आवश्यक न समझी जाये, का क्रय एकल निविदा पद्धति अर्थात् एक फर्म से निविदा प्राप्त कर किया जावेगा परन्तु इस एकल वस्तु की वार्षिक आवश्यकता रु 5,000 से अधिक की न हो।

4.3.2 **सीमित निविदा पद्धति-** साधारणत: ऐसे सभी आदेशों के मामले में अपनाई जानी चाहिये जिसमें अनुमानित वार्षिक क्रय राशि रु. 5,001 से रु 50,000 तक हो। इसमें निर्माताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क स्थापित कर क्रय किया जाता है। इसके लिये यदि विज्ञापन जारी किया जाये तो एक भारी राशि विज्ञापन पर खर्च होगी, इसलिये इससे बचने हेतु कम से कम तीन निर्माताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि या पंजीकृत निर्माता (जिस विभाग में प्रचलन हो) से सीमित निविदा के आधार पर क्रय किया जा सकेगा।

4.3.3 **खुली निविदा पद्धति-** इस पद्धति में हमेशा लोक विज्ञापन द्वारा नियमानुसार खुली निविदायें बुलाकर करना चाहिये। निविदा बुलाने हेतु निम्नानुसार लोक विज्ञापन किया जावे :-

जहाँ निविदा का अनुमानित मूल्य -	
रु. 50,001 से रु. 2.00 लाख तक हो।	स्थानीय स्तर के बहुप्रसारित एक समाचार पत्र में।
रु. 2.00 लाख से अधिक तथा रु. 10.00 लाख तक हो।	प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों में।
रु. 10.00 लाख से अधिक तथा रु. 20.00 लाख तक हो।	प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों तथा राष्ट्रीय स्तर के एक समाचार पत्र में।
रु. 20.00 लाख से अधिक	प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों में।

निविदा बुलाने की प्रक्रिया इंटरनेट पर की जा सकेगी।

4.4. **निविदा विज्ञप्ति-** निविदा बुलाने हेतु संक्षिप्त निविदा प्रकाशित की जानी चाहिये, ताकि मितव्ययिता बनी रहे। क्रय की अन्य शर्तें टेण्डर फार्म के साथ दी जा सकती हैं।

4.4.1 **निविदा सूचना के लिये विज्ञापन प्रपत्र का निर्धारण-** निविदा विज्ञापन संक्षिप्त होने चाहिये। इसमें केवल क्रय की जाने वाली मुख्य सामग्री या जिस प्रयोजन से निविदा आमंत्रित की जा रही है उसका उल्लेख होना चाहिये। मुख्य शर्तें, तथा किस तिथि तक निविदा स्वीकार की जायेगी का उल्लेख विज्ञापन में होना आवश्यक है। जहाँ तक शर्तों के विस्तृत विवरण का प्रश्न है, इस संबंध में केवल

उल्लेख पर्याप्त होगा कि निविदा की विस्तृत शर्तें निर्धारित तिथि के पूर्व कार्य दिवसों में संबंधित कार्यालय से टेण्डर फार्म के साथ प्राप्त की जा सकती है। किसी भी स्थिति में निविदा सूचना के लिये लम्बे-लम्बे विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिये।

4.4.2 **निविदा सूचना का प्रारूप-** इस हेतु निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट-2 में दिया गया है।

4.4.3 बुलाई गई निविदा को किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा।

4.5 **निविदा हेतु समय** - सीमा निम्नानुसार होगी :-

सीमित निविदा पद्धति	15 दिन
खुली निविदा (रु. 50,000 से अधिक रु. 10 लाख तक)	21 दिन
खुली निविदा (रु. 10 लाख से अधिक)	30 दिन
ग्लोबल निविदा	45 दिन

उपरोक्त सीमा की गणना निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से होगी।

4.61. निविदा प्राप्ति की पद्धति-

4.6.1 निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट (ए.डी.) अथवा स्पीड पोस्ट अथवा पी.एंड.टी. विभाग से अधिकृत कोरियर के द्वारा प्राप्त की जाएगी अथवा निर्धारित टेंडर बाक्स में डाली जाएगी।

4.6.2 रजिस्टर्ड डाक द्वारा निविदाएँ निर्धारित अंतिम तिथि के कार्यालयीन समय में 3.00 बजे अपरान्ह तक ही प्राप्त की जाए तथा इसका उल्लेख निविदा विज्ञप्ति में किया जायेगा।

4.6.3 निविदा खोलने का समय, निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के निर्धारित समय के एक घण्टे पश्चात् अर्थात् उसी दिन 04.00 बजे अपरान्ह रखा जाएगा।

4.6.4 निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत किया जाएगा। एक लिफाफे में सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण-पत्र तथा दूसरे लिफाफे में निविदा प्रपत्र, तदनुसार लिफाफे के ऊपर लिखा जाएगा। सुरक्षा निधि वाले लिफाफे को पहले खोला जाएगा तथा पर्याप्त सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण-पत्र होने पर ही दूसरे लिफाफे अर्थात् निविदा प्रपत्र वाले को खोला जाएगा, अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा।

4.6.5 जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी, वह नहीं खोली जाएगी तथा वापस लौटा दी जाएगी। निविदा वापस करते समय निविदा के बंद लिफाफे पर निविदा लौटाने की तिथि व समय अंकित किया जाएगा।

4.7 **सुरक्षा निधि-** केवल वास्तविक प्रदायकर्ता फर्में ही अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकें, इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक निविदा के साथ अनुमानित क्रय मूल्य का कम से कम 3 प्रतिशत सुरक्षा निधि प्राप्त की जाये। यह सुरक्षा निधि सफल निविदाकार की रोककर, शेष की 15 दिवस में वापस लौटा दी जाए। प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग इकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है तथा सक्षमता प्रमाण-पत्र

Principal
Govt-College Tamnar
Distt-Raigarh (C.G.)

प्राप्त है. उसका परीक्षण कर उन्हें शासकीय क्रय प्रक्रिया में भाग लेते समय सुरक्षा निधि जमा करने से छूट दी जाये। इकाईयों द्वारा इस आशय का प्रमाण, टेण्डर के साथ देने पर ही उन्हें छूट प्राप्त होगी।

4.8 **सुरक्षा निधि के प्रकार-** सुरक्षा निधि की निर्धारित राशि नगद में प्राप्त नहीं किया जायेगा। निविदाकार को यह सुरक्षा निधि चालान से निम्न लेखा शीर्ष में शासकीय खजाने में/उपखजाने में या बैंक की किसी भी शाखा में जहाँ शासकीय नगदी लेन-देन का कारोबार किया जाता है, जमा करके चालान की मूल पावती निविदा के साथ प्रस्तुत करें:-

"8443 - सिविल जमा राशियाँ 103 प्रतिभूति जमा"

निविदाकार चाहे तो सुरक्षा निधि शासकीय खजाने में जमा करने के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंकों के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा कर सकता है।

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर, 2011

आदेश

क्रमांक एफ 20 70/2004/11/6 पार्ट - राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 (यथा संशोधित) के नियम.16 में वर्णित अधिकारिता से छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी को उनके आग्रह दिनांक 29-9-2011 के परिप्रेक्ष्य में भण्डार क्रय नियम, 2002के नियम 8 में वर्णित सुरक्षा निधि के रूप में चालान, डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा नगद प्रतिभूति के साथ-साथ भारतीय स्टेट बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंको के द्वारा जारी "**बैंक गारण्टी**" के रूप में भी प्राप्त किये जाने हेतु शिथिलता प्रदान की जाती है ।

उक्त संशोधन आदेश जारी होने दिनांक से प्रभावी माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

4.9 **क्रय की शर्त-** क्रय की शर्तें स्पष्ट होना चाहिये ताकि उसका अलग-अलग अर्थ लगाया न जाकर विवाद की स्थिति निर्मित होने से बचा जा सके। क्रय केवल छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत फर्मो से ही किया जाए ताकि जा, अपवंचन का मामला नहीं बने। शर्तों में एक शर्त यह भी जोड़ी जावे कि वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण-पत्र, जहाँ पर वाणिज्य कर पंजीयन आवश्यक हो, की प्रमाणित छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न की जावे। इसकी अलावा फर्म ने आयकर अदा किया है एवं उस पर कोई कर बकाया नहीं है, इस आशय का आयकर समाशोधन प्रमाण-पत्र, जहाँ आवश्यक हो लिया जावे। शर्त

शर्त भी जोड़ी जावे कि प्रदायकर्ता का व्यापारिक संस्थान कहाँ स्थित है, जहाँ से वह विभिन्न स्थानों पर माल का प्रदाय करेगा। दरों में करों का स्पष्ट उल्लेख हो। माल प्रदाय का स्थान भी स्पष्ट दर्शित हो। इसके अतिरिक्त क्रय अधिकारी, मितव्ययिता को दृष्टिगत रखकर शासन हित में जो भी शर्त लगाना उचित समझे लगा सकता है।

4.9.1. पूर्व में जारी संशोधन आदेश क्रमांक एफ-20-15/2003/11/(6), दिनांक 18-09-2003 को निरस्त किया जाता है एवं दर निर्धारण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी :-

राज्य के बाहर स्थित निविदाकारों द्वारा दी गई दरों की तुलना राज्य में वाणिज्य कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत निविदाकारों द्वारा दी गई दरों में छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर को छोड़कर की जाए। दर निर्धारण की इस प्रक्रिया का उल्लेख क्रेता विभाग द्वारा जारी निविदा या निविदा फार्म में किया जाए।

4.10 **नमूना लिया जाना-** उचित गुणवत्ता की वस्तु का चयन किया जा सके, इस हेतु यह आवश्यक है कि प्रदाय की जाने वाली वस्तु का नमूना प्राप्त किया जावे। यदि ऐसा संभव न हो तो प्रदायकर्ता अपनी वस्तु का प्रदर्शन भी कर सकता है। यदि यह भी संभव नहीं हो तो करार में यह शर्त जोड़ी जावे कि वस्तु के निर्माण के समय निर्माण स्थल में निरीक्षण करने का अधिकार क्रय अधिकारी को होगा।

4.11 **निविदाओं को खोलना-** उपरोक्तानुसार यदि खुले बाजार से निविदा आमंत्रित की गई है तो, प्राप्त निविदाएँ एक क्रय समिति के समक्ष खोली जावे । निविदाएँ खोलते समय प्रदायकर्ता अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकते हैं। जो प्रतिनिधि उपस्थित हों उनकी एक सूची तैयार की जाए तथा उनकी उपस्थिति के प्रमाण में उनके हस्ताक्षर रजिस्टर में लिये जावे। समिति के सभी सदस्य प्राप्त निविदाओं पर अपने संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे, साथ ही साथ तुलनात्मक प्रपत्र बनाकर उस पर भी सभी के हस्ताक्षर लिये जावे। बाद में क्रय की अनुशंसा हेतु यही सब अभिलेख क्रय समिति के समक्ष रखा जाए।

4.12 **क्रय समिति का गठन-** प्रत्येक कार्यालय में जहाँ प्रतिवर्ष रु 50,000/- या इससे अधिक का क्रय किया जाता है, एक क्रय समिति बनायी जावे। क्रय समिति में विभाग में पदस्थ लेखा अधिकारी/लेखा प्रभारी को सदस्य के रूप में अनिवार्यत: सम्मिलित हो। इस समिति में कितने सदस्य हो इसके लिये सक्षम अधिकारी स्वविवेक से निर्णय ले सकते हैं, किन्तु समिति में ऐसे अधिकारियों को अवश्य सम्मिलित किया जाए जो क्रय की जाने वाली वस्तु का तकनीकी ज्ञान रखते हों। क्रय समिति मूल्य एवं वस्तु की गुणवत्ता का परीक्षण कर अपनी अनुशंसा करेगी। सामान्यत: क्रय-समिति की अनुशंसा पर ही क्रय किया जावे परन्तु यह आवश्यक

Principal
Govt-College Tamnar
Distt-Raigarh (C.G.)

नहीं है कि क्रेता अधिकारी, समिति की अनुशंसा को मान्य करे। यदि वह अन्यथा निर्णय लेता है तो, उसके द्वारा ऐसा करने के कारण लिपिबद्ध किये जायेंगे।

स्वीकृति हेतु निविदा का चयन करते समय, निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों एवं फर्मों की वित्तीय स्थिति, तकनीक, कार्यानुभव आदि को विचार में लिया जाये। जब निम्नतम निविदा स्वीकार नहीं की जाए तो ऐसा न करने के कारणों को लिखित में अंकित किया जाए। यदि निविदा सूचना प्रसारित करने के पश्चात् यह आभास हो कि अपर्याप्त विज्ञप्ति अथवा अन्य कारणों से पर्याप्त निविदाएँ प्राप्त नहीं हुई हैं, तो पुन: निविदा बुलाई जावे तथा ऐसे प्रयत्न किया जाए ताकि निविदा की सूचना संभावित समस्त निविदाकारों को पहुँच सके।

4.13 प्रदाय आदेश जारी करना- क्रय समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर क्रेता अधिकारी को चाहिए कि वह उसका बारीकी से परीक्षण करे। यदि वह क्रय समिति की अनुशंसाओं से संतुष्ट है तो क्रय की अनुमति दे सकता है। यदि वह संतुष्ट नहीं है तो निविदाओं को निरस्त भी कर सकता है। उसको यह समाधान कर लेना चाहिए कि किसी फर्जी फर्म के द्वारा निविदा तो प्रस्तुत नहीं की गई है। जिस फर्म के द्वारा निविदा दी गई है, के बारे में यह भी सुनिश्चित कर लेना होगा कि, उसके पास कार्य का पर्याप्त ज्ञान है, वित्तीय दृष्टि से वह सुदृढ़ है, भंडारण की उसके पास पर्याप्त व्यवस्था है। वह चाहे तो निर्माण के पूर्व अथवा निर्माण के समय वस्तु का निरीक्षण भी कर सकता है, इस आशय की शर्त करारनामा में जोड़ी जा सकती है। वस्तुएँ इस शर्त पर क्रय की जावेंगी कि उनका प्रदाय, क्रेता विभाग द्वारा निर्धारित स्थल पर प्रदायकर्ता द्वारा किया जायेगा।

प्रदाय आदेश जारी करने के पूर्व प्रदायकर्ता फर्म से करारनामा किया जाए, जिससे वह एक नियत समयावधि के अंदर एवं नमूने तथा मापदण्ड के अनुरूप प्रदाय हेतु बाध्य हो। करार में अन्य शर्तों के अलावा यह शर्त भी जोड़ी जाए कि नमूने तथा मापदण्ड के अनुरूप वस्तु प्राप्त नहीं होने की दशा में, प्राप्त सामग्री स्वीकार नहीं की जावेगी तथा प्रदायकर्ता को अपने व्यय पर उसे वापस ले जाना होगा। करारनामा में निर्धारित अवधि के अंदर यदि माल प्रदाय नहीं किया जाता है तो क्रेता विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा 2 प्रतिशत प्रतिमाह पेनाल्टी के साथ समयावधि में केवल एक बार ही वृद्धि की जा सकेगी। शर्तें सभी स्पष्ट होनी चाहिए जिससे उनके दो अर्थ नहीं निकाले जा सकें। यह करारनामा स्टाम्प पेपर पर हो और करार विधिवत निष्पादित होने के पश्चात् ही प्रदाय आदेश दिया जावे।

4.14 पुनरावृत्ति आदेश (Repeat Order) को, मूल आदेश के विरुद्ध दिया जा सकता है, किन्तु -

(1) किसी भी स्थिति में ऐसा आदेश प्रारंभिक आदेश देने के एक वर्ष के बाद नहीं दिया जायेगा।

(2) यदि मूल आदेश अत्यावश्यक हो या आकस्मिक माँग की पूर्ति हेतु दिया गया हो तो पुनरावृत्ति आदेश नहीं दिया जायेगा तथा पुनरावृत्ति आदेश देते समय इस अभिप्राय को प्रमाणित किया जायेगा।

(3) पुनरावृत्ति आदेश मूल आदेश की मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक का नहीं होगा।

नियम 5- महत्वपूर्ण संयंत्र एवं मशीनें केवल उन्ही फर्मों से प्राप्त की जायेंगी, जिनका नाम डी.जी.एस. एंड डी. द्वारा पंजीकृत हो अथवा जिनका नाम समय-समय पर उनके द्वारा जारी सूची में सम्मिलित किया गया हो-

5.1 ऐसे भी प्रकरण हो सकते हैं जिनमें ऐसी फर्मों से निविदायें प्राप्त हुई हों जिनका नाम पंजीयन सूची में न हो। यदि निविदा प्रथम दृष्टया संतोषप्रद है तो, उसे निरस्त नहीं किया जाएगा, अपितु इस संबंध में डी.जी.एस. एंड डी. से फर्म की दक्षता एवं स्तर के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाएगी।

5.2 क्रयकर्ता अधिकारी द्वारा सभी वस्तुएँ निरीक्षण की शर्त पर स्वीकार किये जाएँगे।

नियम 6- **विदेशों से क्रय-** ऐसी वस्तुएँ जो देश में निर्मित नहीं होती हैं अथवा उन्नत तकनीकी की हैं, उन्हें विदेशों से क्रय/आयात किया जा सकेगा। यह क्रय/आयात भारत शासन द्वारा अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से किया जा सकेगा। यदि आवश्यक हुआ तो विशेष परिस्थितियों में शासन की अनुमति से "ग्लोबल टेंडर" बुलाकर क्रय किया जा सकेगा।

नियम 7- जैसा कि नियम - 3 में उल्लेखित है, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सी.एस.आई.डी.सी.) परिशिष्ट-1 के अनुसार वस्तुओं की दरों एवं शर्तों का निर्धारण करेगा। विभागों द्वारा क्रय इन दरों व शर्तों के अंतर्गत निर्धारित इकाईयों से किया जा सकेगा। दरों व शर्तों के निर्धारण के लिये कार्पोरेशन द्वारा विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की जावेगी-

7.1 सी.एस.आई.डी.सी. के द्वारा विभिन्न निर्माणकर्ता अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रदायकर्ता इकाईयों का पंजीयन किया जायेगा। अंतरिम व्यवस्था के रूप में पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण होने तक डी.जी.एस.एंड डी एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में पंजीकृत इकाईयों को मान्य किया जायेगा।

7.2 निविदा के माध्यम से वस्तुओं के दर निर्धारण नियम -4 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में किया जावेगा। इस हेतु पंजीकृत इकाईयों को मान्य किया जावेगा तथा तदनुसार सूची प्रकाशित की जायेगी।

7.3 सामान्यत: सामग्रियों की दरें एक वर्ष के लिये मान्य होगी।

Principal
Govt-College Tamnar
Distt-Raigarh (C.G.)

7.4 भी.एस.आई.डी.सी. द्वारा सभी वस्तुओं के मानक मापदंड का निर्धारण करेगा, जिसमें समय-समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जायेगा तथा इसके लिये विशेषज्ञों की सहायता लेगा।

7.5 भी.एस.आई.डी.सी. परिशिष्ट-1 में उल्लेखित वस्तुओं के बाजार मूल्यों की सतत् समीक्षा करेगा।

नियम 8- भण्डार क्रय नियम 8 के तहत समस्त विभागों द्वारा हैण्डलूम तथा हैण्डीक्राफ्ट सामग्री का क्रय आदेश छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर एवं 'छत्तसीगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर' को ही प्रदाय किया जाये। ऐसी सामग्रियों के क्रय हेतु क्रय अधिकारियों द्वारा पृथक् से निविदा नहीं बुलाई जायेगी। समस्त शासकीय विभाग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा उत्पादित सामग्रियों से ही करेंगे। यदि किसी कारणवश कोई विभाग इस प्रक्रिया से छूट चाहता है तो उसे ग्रामोद्योग विभाग की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

8.1 ग्रामोद्योग विभाग से सहायता प्राप्त इकाईयों तथा महिला एवं बाल विकास व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत गठित महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित हैण्डलूम तथा हैण्डीक्राफ्ट सामग्रियों का क्रय शासकीय कार्यालयों द्वारा सीधे इन इकाईयों/समूहों से किया जा सकेगा, जिसके लिए पृथक् से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा।

8.2 छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित बेल मेटल, लौह, काष्ठ, बांस, शीशम, कौड़ी आदि शिल्प सामग्रियों तथा शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों, कार्यालयों एवं विश्राम गृह में उपयोग होने वाली ऐसी स्टेशनरी एवं सजावटी सामग्री ग्रामोद्योग विभाग के हस्तशिल्प प्रकोष्ठ से क्रय करने हेतु पृथक् से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा।

8.3 यदि राज्य शासन के किसी विभाग द्वारा संचालित विभागीय निर्माण इकाईयां सामग्री विशेष का निर्माण करती हैं तो ऐसी निर्माणकर्ता इकाई से सामग्री विशेष का क्रय किया जा सकेगा जिसके लिये पृथक् से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा।

नियम 9- इन नियमों के अधीन शासन के एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग/उपक्रम से क्रय किया जाना वर्जित नहीं है। ऐसा क्रय मूल दरों पर ही होगा।

नियम 10- प्राकृतिक आपदा या कानून व्यवस्था की विषम परिस्थितियों में बिना निविदा बुलाये ही, अत्यावश्यकता की प्रकृति को अभिलिखित करते हुए सीधे सक्षम अधिकारी द्वारा क्रय किया जा सकेगा।

नियम 11- सामग्री का निरीक्षण इकाई द्वारा प्रदाय से पूर्व कराया जायेगा। प्राप्त किये जाने वाले सामग्री की गुणवत्ता मानकों के अनुसार होने की जिम्मेदारी संबंधित प्रदायकर्ता

व क्रेता विभाग की होगी एवं क्रेता विभाग प्रदायकर्ता इकाई को भुगतान सीधे ही करेंगे। विभागों को माल एवं बिल प्राप्ति के 20 दिवस के अंदर नियमानुसार बिल का भुगतान करना अनिवार्य होगा। भुगतान में अकारण विलंब होने पर विभाग द्वारा प्रचलित बैंक दर से ब्याज देय होगा।

नियम 12- निविदा एवं अनुबंधों की सूचीप्रतियाँ महालेखाकार कार्यालय को भेजना- वित्त संहिता भाग-1 के नियम 21 (2) के अनुसार लेखा परीक्षा को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक विभाग एवं शासन द्वारा कराये गये कार्य के लिए निविदा एवं अनुबंधों की जाँच करे। अतः रुपये एक लाख या उससे अधिक के अनुबंधों की प्रतियाँ उन्हें प्रेषित की जाएगी।

नियम 13- सामग्री क्रय करने वाले शासकीय विभाग का यह दायित्व होगा कि सामग्री क्रय करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि यदि किन्हीं सामग्रियों का उत्पादन प्रदेश में स्थापित लघु उद्योग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग द्वारा किया जाता है तो मूल्य एवं गुणवत्ता औचित्यपूर्ण होने की दशा में सामग्रियाँ क्रय करने में ऐसे उद्योगों को यथासंभव प्राथमिकता मिले।

13-1. मूल्य अधिमान्यता.- क्रेता विभाग दर निर्धारण के समय मध्यम, वृहद एवं राज्य के बाहर स्थित इकाईयों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित लघु उद्योग इकाईयों को 10% (दस प्रतिशत) की मूल्य अधिमान्यता प्रदान करेगा। उदाहरणार्थ यदि राज्य के बाहर स्थित उद्योग इकाई अथवा राज्य में स्थित मध्यम/वृहद इकाई द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम: दर रुपये 100/- है एवं राज्य में स्थित लघु उद्योग इकाई की दरों में न्यूनतम दर रुपये 110/- है तो क्रेता विभाग स्थानीय लघु उद्योग इकाई से सामग्री का क्रय रु. 110/- में कर सकेगा।

13-2. क्रय अधिमान्यता.- स्थानीय लघु उद्योग इकाईयों को राज्य से बाहर स्थित इकाईयों की तुलना में 5% (पाँच प्रतिशत) क्रय अधिमान्यता प्रदान की जायेगी। उदाहरणार्थ यदि राज्य के बाहर स्थित इकाई द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर रुपये 100/- है एवं राज्य की लघु उद्योग इकाई की दर रुपये 115/- है, तो क्रेता विभाग के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह स्थानीय लघु उद्योग इकाई को यह मौका प्रदान करे कि स्थानीय लघु उद्योग इकाई अपनी दर रुपये 110/- कर सके (10 प्रतिशत मूल्य अधिमान्यता सहित)। यदि राज्य में स्थित लघु उद्योग इकाई ऐसा करती है तो उसे उसकी पूर्ण क्षमता तक प्रदाय आदेश जारी किया जाएगा।

नियम 14- अन्य बातें समान रहने पर, आई.एस.आई. तथा आई.एस.ओ. 9000 प्रमाण-पत्र प्राप्त इकाईयों को प्रदाय आदेश देने में प्राथमिकता दी जायेगी।

Principal
Govt-College Tamnar
Distt-Raigarh (C.G.)

14.1 राज्य में स्थित बी.आई.एस. प्रमाण पत्र धारी लघु उद्योग इकाई को राज्य के बाहर स्थित इकाई की तुलना में 10% (दस प्रतिशत) की अधिमान्यता दी जाएगी। तदनुसार राज्य की बी.आई.एस. प्रमाण-पत्र धारी लघु उद्योग इकाई को अपनी दर रु. 120/- से 110/- तक (10 प्रतिशत मूल्य अधिमान्यता सहित) लाने का अवसर दिया जाएगा और राज्य की बी आई एस. प्रमाण-पत्र धारी लघु उद्योग इकाई को उसकी पूर्ण क्षमता तक क्रय आदेश प्रदान किया जायेगा।

नियम 15- भण्डार क्रय से संबंधित मामलों में उपर्युक्त नियम तथा किसी अन्य नियम के अभाव में डी.जी.एस. एंड डी के द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा।

15.1 क्रय तथा निविदा आमंत्रण में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी:-

15.1-क समाचार पत्रों में जारी निविदा के साथ ही क्रेता विभाग का वेबसाईट का पता भी दिया जाए।

15.1-ख. निविदा का समाचार पत्रों में प्रकाशन के साथ निविदा को विभाग की वेबसाईट पर भी प्रकाशित किया जाए। इससे निविदा में भाग लेने वाली इकाई के लिये यह आवश्यक नहीं रहेगा कि वह विभाग से निविदा प्रपत्र प्राप्त करे। निविदाकार वेबसाईट में उपलब्ध निविदा प्रपत्र को डाउनलोड करके निविदा में भाग ले सकेगा जिसे मान्यता प्रदान की जायेगी।

15.1-ग. ऐसे निविदाकारों से, जिन्होंने वेबसाईट से डाउनलोड करके निविदा भरी है, निविदा फीस निविदा प्रस्तुत करते समय प्राप्त की जायेगी।

15.1-घ. कुछ विशेष प्रकृति की सामग्री जिनका ई-टेण्डरिंग किया जा सकता है, ईटेण्डरिंग के द्वारा निविदा आमंत्रित की जायेगी।

नियम 16- विशेष परिस्थितियों में राज्य शासन का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग किसी नियम को शिथिल करने की स्वीकृति दे सकेगा तथा इन नियमों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकेगा।

परिशिष्ट - 1
(नियम 3 एवं 7)

1. पेन्ट, वार्नीश और डिस्टेम्पर
2. टारफेल्ट, बिटूमेन प्राइमर सीलिंग , कम्पाऊंड, एक्सपानसन, ज्वाइंट फिलर ग्रेड-1 तथा बिटूमेन
3. सभी प्रकार के लकडी फर्नीचर ब. दरवाजे, खिड़की व अन्य भवन सामग्री
4. अन्य लकड़ी की वस्तुएँ
5. स्टेनलेस स्टील एवं एल्यूमिनियम के बर्तन

Principal
Govt-College Tamnar
Distt-Raigarh (C.G.)